HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA). OCT. 18, 2007
(ASVN. 26, 1929 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 18 अक्तूबर, 2007

संख्या का0 आ0 81/पं0अ0 16/1952/धा0 10/2007, – चूँकि, राज्य सरकार की राय में, निजी स्कूल (बस रखने वाली शैक्षणिक संस्थाओं) जिन्होंने फरवरी तथा मार्च, 2006 के मास के लिए यात्री कर बकायों (जिसे, इसमें, इसके बाद, पिछला बकाया कहा गया है) के सम्बन्ध में, एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए विकल्प दिया हुआ है, को उसके दो तिहाई की सीमा तक पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का 16), की धारा 3 तथा पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 के नियम 9 के उप–नियम (2च) के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देना लोकहित को बढ़ावा देना होगा ;

इसलिए, अब, पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का 16), की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का 16), की धारा 3 तथा पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 के नियम 9 के उप–नियम (2च) के उपबन्धों के प्रवर्तन से उक्त स्कूलों को ऐसे पिछले बकायों के भुगतान से उसके दो तिहाई की सीमा तक छूट देते हैं । ऐसे पिछले बकायों का एक तिहाई भुगतान योग्य होगा ।

रमेन्द्र जाखू
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA). OCT. 18, 2007
(ASVN. 26, 1929 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 18 अक्तूबर, 2007

संख्या का0 आ0 82/पं0अ0 16/1952/धा0 10/2007, – चूँकि, राज्य सरकार की राय में, पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 3 के उपबन्धों के प्रवर्तन से, बस रखने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के निजी स्कूलों, जिनके मासिक बस प्रभार प्रति विद्यार्थी एक सौ रूपये तक है, को छूट देना लोकहित में बढ़ावा देना होगा ;

इसलिए, अब, पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उपरोक्त बस स्वामियों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के प्रवर्तन से मार्च, 2007 के प्रथम दिन से छूट देते हैं ।

रमेन्द्र जाखू
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA). OCT. 18, 2007
(ASVN. 26, 1929 SAKA)

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना

दिनांक 18 अक्तूबर, 2007

संख्या का0 आ0 79/पं0अ0 16/1952/धा0 22/2007, – पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 22 की उप–धारा (2) तथा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 को, हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम, 2007, कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 में, नियम 9 में, –

(i) उप नियम (2–क) में, सारणी में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे "16,000", "16,000" तथा "10,000" अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, क्रमशः "12,000", "12,000" तथा "6,000" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा प्रथम मार्च, 2007 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) उप नियम (2–ख) में, –

(क) "प्रथम सितम्बर, 2004 से 20,000/- रूपये प्रति मास", शब्दों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, "प्रथम मार्च, 2007 से 16,000/- रूपये प्रति मास" शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किये जाएगें तथा प्रथम मार्च, 2007 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगें;

(ख) अन्त में, विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, " : " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यदि उक्त राशि का भुगतान मास जिससे भुगतान सम्बन्धित है, के प्रथम सात दिन के भीतर कर दिया जाता है, तो परमिट धारक भुगतानयोग्य एकमुश्त राशि के दस प्रतिशत की छूट का हकदार होगा ।";

(iii) उप नियम (2ग) में, –

(क) सारणी में, "20000 रूपए", "20000 रूपए" तथा "14000 रूपए" अंकों, चिह्नों तथा शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "16,000 रूपए", "16,000 रूपए" तथा "10,000 रूपए" अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा प्रथम मार्च, 2007 से प्रतिस्थापित किए गए समझें जाएंगे ;

(ख) "उप–नियम (2ख) तथा (2ग) में दी गई दरें, उस तिथि से लागू होंगी जिससे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59), के अधीन हरियाणा में क्रमशः 1993 तथा 2001 को निजी बस सेवा योजनाएं अधिसूचित की गई थी ।" शब्दों, चिह्नों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षरों का लोप कर दिया जाएगा तथा प्रथम मार्च, 2007 से लोप किए गए समझें जाएंगे;

(iv) उप–नियम (2–च) में, –

(क) अन्त में, विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, " :" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा तथा प्रथम मार्च, 2007 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु निजी स्कूलों (बस रखने वाली शैक्षणिक संस्थाओं) के मामले में, वर्ष में नौं मास के लिए प्रति मास प्रति सीट ऐसे एक मुश्त प्रभार निम्न प्रकार से होंगे :–

मासिक बस प्रभार प्रति सीट	**एक मुश्त भुगतान योग्य कर**
100 रूपए से अनधिक	छूट
100/– रूपए से अधिक किन्तु 200/– रूपए से अनधिक	20/– रूपए
200/– रूपए से अधिक	40/– रूपए";

(v) उप–नियम (4–क) में, –

(क) अन्त में, विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, " :" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यदि उक्त राशि का भुगतान मास जिससे भुगतान सम्बन्धित है, के प्रथम सात दिन के भीतर कर दिया जाता है, तो परमिट धारक भुगतान योग्य एक मुश्त राशि के दस प्रतिशत की छूट का हकदार होगा ।";

(vi) उप–नियम (5–क) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(5क) जहॉ इस नियम के अधीन एकमुश्त कर का भुगतान करने का विकल्प देने वाले बस के स्वामी द्वारा निरन्तर पन्द्रह दिन या से अधिक की अवधि के लिये, बस के खराब होने की दशा में या अन्य किसी पर्याप्त कारणवश, जो उसके नियंत्रण से बाहर है, बस को नहीं चलाया गया है और जहॉ वह मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन समुचित परिवहन पंजीकरण प्राधिकारी के पास परमिट जमा करा देता है तथा तद्नुसार समुचित कर–निर्धारण प्राधिकारी को सूचित कर देता है, तो पश्चात्वर्ती प्राधिकारी, स्वय की संतुष्टि के बाद कि वास्तव में बस मॉगे गए समय के दौरान नहीं चली, तो एकमुश्त कर के भुगतान में यथानुपात राहत देगा ।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA). OCT. 18, 2007
(ASVN. 26, 1929 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 18 अक्तूबर, 2007

संख्या का0 आ0 80/पं0 अ0 16/1952/धा0 14/2007. – चूँकि, राज्य सरकार की राय में, सहकारी परिवहन समितियों के बस स्वामियों के विरूद्व फरवरी, 2007, के प्रथम दिन को लम्बित पुराने अप्राप्त बकायों की उचित वसूलियों के लिये, उक्त स्वामियों को 2 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त ब्याज के उद्ग्रहण तथा भुगतान से पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का 16), की धारा 14ख के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देना लोकहित को बढ़ावा देना होगा;

इसलिए, अब, पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उपरोक्त बस स्वामियों को "दो प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज" के उद्ग्रहण तथा भुगतान से उक्त अधिनियम की धारा 14ख के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देते हैं ; परन्तु ऐसे अप्राप्त बकायों का प्रथम मार्च, 2007 से छह मास की अवधि के भीतर भुगतान किया गया हो ।

रमेन्द्र जाखू
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।